मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2004 (फाल्गुन 7, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री ओमप्रकाश धुर्वे, समाज कल्याण मंत्री -

(क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, निःशक्त जन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री गिरीश गौतम, सदस्य, रीवा जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के छात्रों को दलिया वितरण हेतु आवंटित गेहूं को बाजार में बेचे जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले की पनारी सेवा सहकारी समिति द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ओरछा पर्यटन केन्द्र पर पुलिस बल बढ़ाये जाने, तथा

(ख) ओरछा-चकरपुर मार्ग के मरोड़ पुल से चकरपुर तक सड़क बनाये जाने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) हनुमना-शाहपुर-बहुतीफाल मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम बहेरा डाबर से पिपराही एवं पिपराही से जड़कुड़ तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम पिपराही में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(घ) ग्राम पिपराही में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध विधेयक, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.